

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/ब.आ./2022-23/ 5624

दिनांक: 21/07/2022

संशोधित समर्पण/बजट आवंटन आदेश- 41

वर्ष 2022-23 में इस कार्यालय से निम्न वन मण्डलों को जारी आवंटन आदेशों के विरुद्ध प्राप्त समर्पण को स्वीकार करते हुए वर्तमान में समर्पण के पश्चात् कुल आवंटन इस प्रकार है (नोट:- पूर्व में जारी आवंटन आदेशों में संशोधन कर शेष आदेश यथावत् रहेगा) :-

2406-04-103-01-01-12

2406- Forest & wildlfe

04- Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(01)- Compensatory Afforestation

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	A.P.O Item No. & Name	आवंटन आदेश	पूर्व में आवंटन		समर्पण/बजट आवंटन		कुल बजट आवंटन		विशेष विवरण
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	2) CA on Degraded Forest Land for Compensatory Afforestation (CA-DFL) New Advance Action	9	4.8458	2.18744	-4.8458	-2.18744	0.0000	0.0000	उ.व.स. हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक 5233 दिनांक 23.06.22 के क्रम में

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & wildlfe

04- Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	A.P.O Item No. & Name	आवंटन आदेश	पूर्व में आवंटन		समर्पण/बजट आवंटन		कुल बजट आवंटन		विशेष विवरण
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	उप वन संरक्षक, वन्य जीव चिडियाघर	45) Information and Communication Technology (ICT) :d) Capacity Building and Infrastructure strengthening regarding communication /devices (Laptops/ Tablets) for field officers	18	0	43.00000	0	-43.00000	0.000	0.00000	उ.व.स. वन्य जीव चिडियाघर के पत्र क्रमांक 4906 दिनांक 23.06.22 के क्रम में

		45) Information and Communication Technology (ICT) :c) Procurement of High Quality GPS for interactive maps facility	32	0	15.00000	0	-15.00000	0.000	0.00000	उ.व.स. वन्य जीव विडियाघर के पत्र क्रमांक 4997 दिनांक 27.06.22 के क्रम में
2	उप वन संरक्षक, वन्य जीव भरतपुर	45) Information and Communication Technology (ICT) :d) Capacity Building and Infrastructure strengthening regarding communication /devices (Laptops/ Tablets) for field officers	0	0	0.00000	0.000	43.00000	0.000	43.00000	अ.प्र.मु.व.स. सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान जयपुर के यू.ओ.नोट क्रमांक 917 दिनांक 15.07.2022
		45) Information and Communication Technology (ICT) :c) Procurement of High Quality GPS for interactive maps facility	0	0	0.00000	0	15.00000	0.000	15.00000	
3	उप वन संरक्षक, भरतपुर	26) Creation/Maintenance of Fire Line & combating of forest fire for prevention of forest fire in forest areas :(B) Amount for Maintenance of Fire Line	16	13.600	0.57882	-13.600	-0.57882	0.000	0.00000	उ.व.स. भरतपुर के पत्र क्रमांक 4540 दिनांक 28.06.22 के क्रम में

शर्त:-

- Budget is being allotted for procurement of Communication/Devices (Laptops) for field Officers in number 57 approx. With approx. Cost of 75000 each. Should be taken from APCCF IT.
- Budget must be utilised as soon as permitted from finance dept.
- It is very essential to send utilisation certificate (uc) after completion the work. UC to be sent to APCCF CAMPA with CC TO APCCF IT.
- Warranty of all equipment procured should be appropriately registered.
- All codal formalities for procurement mandated by Government of Rajasthan must be followed.
- All Devices shall be distributed as per directions of APCCF IT.
- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines व Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड **Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rules** एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संघारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

- 16 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 17 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 18 कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर **Overlapping** से बचा जा सकें।
- 19 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवं विभाग की प्रचलित प्रद्धति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 20 कैम्पा मद के अन्तर्गत नये कार्यस्थलों की सूची मय **GPS Coordinates** के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

Shikha

(शिखा मेहरा)

O/C

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.14 () कैम्पा/अप्रमुवसं/व.आ./2022-23/ *5625-37*

दिनांक *21/07/2022*

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक - भरतपुर/वीकानेर/वन्य जीव सबाई माधोपुर/वन्य जीव जयपुर को प्रेषित कर लेख-है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक - भरतपुर/हनुमानगढ़/वन्य जीव चिडियाघर, जयपुर/वन्य जीव भरतपुर।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMP) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 सूचना सहायक कार्यालय हाजा (कैम्पा) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।/रक्षित पत्रावली।

Ashish

(अशिश शर्मा)

O/C

उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।